कमिश्नर परिपत्र सं0- 1314136 दि0 04-03-2014

पत्र सं0-विधि-4(1)-ई-पंजीयन -2013-14 / 1694 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

व्यापारियों के द्वार पर पंजीयन (Doorstep Registration) की सुविधा विभाग द्वारा पूर्व में ही प्रदत्त की जा चुकी है । मुख्यालय पर परीक्षण पर पाया गया कि पंजीयन प्रमाण-पत्रों में संशोधन के भी अत्यधिक प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित हैं और निरन्तरता से इनके निस्तारण हेतु निर्देश दिए जाने के बाबजूद इनका निस्तारण अपेक्षानुरूप नहीं हो रहा है । अत: कार्यहित में यह निर्णय लिया गया है कि पंजीयन की तरह ही पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन का कार्य भी आन-लाइन निष्पादित किया जाए । इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर आवश्यक मॉड्यूल अपलोड कर दिया गया है तथा पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन के आन लाइन कार्य निष्पादन की यह व्यवस्था दिनांक 1-4-2014 से वैकल्पिक रूप से लागू की जा रही है । पंजीयन में संशोधन का यह कार्य पंजीयन की भाँति ही खण्ड में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

पंजीयन प्रमाण पत्रों में संशोधन की आन लाइन प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पादित की जायेगी :-

(1) व्यापारी को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना :

(i) व्यापारी द्वारा सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर e-Services Registration पर Click किया जायेगा ।

(ii) Online Amendment Application के लिए विभागीय वेबसाइट पर Register करने के लिए व्यापारी द्वारा संबंधित Entry Field में टिन अंकित किया जायेगा । टिन अंकित करने पर व्यापारी का नाम पता तथा कर निर्धारण कार्यालय डाटाबेस से स्वत: अंकित हो जायेगा । इसके पश्चात् व्यापारी द्वारा फार्म VII में विभाग को उपलब्ध कराये गये खाता संख्या तथा संबंधित बैंक का नाम अंकित करना होगा । व्यापारी द्वारा अंकित सूचनाओं के डाटा बेस से सत्यापन के पश्चात् व्यापारी को अंकित की गयी ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर पर पासवर्ड प्रेषित हो जायेगा ।

(iii) यदि व्यापारी के बैंक खाते का विवरण विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है तो व्यापारी को संबंधित कर निर्धारण कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक खाते की सूचना विभागीय डाटाबेस में update कराना अनिवार्य होगा जिसके पश्चात् ही व्यापारी e-services के लिए विभागीय वेबसाइट पर रजिस्टर होने की कार्यवाही निष्पादित कर सकेगा ।

(2) व्यापारी द्वारा इन्टरनेट पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से संशोधन विवरण आन लाइन दाखिल करना ।

(i) व्यापारी द्वारा अपने टिन तथा प्रेषित पासवर्ड के माध्यम से login किया जायेगा ।

(ii) Login करने के पश्चात् उपलब्ध Menu Screen में e-Amendment Application के लिंक पर Click किया जायेगा ।

(iii) इसके पश्चात् Dropdown से Type of Application में Amendment in Registration चयनित कर टिन अंकित किया जायेगा । टिन अंकित करने पर डाटाबेस में उपलब्ध नाम, पता तथा कर निर्धारण कार्यालय का नाम स्वत: अंकित हो जायेगा । व्यापारी द्वारा जिस सूचना में परिवर्तन किया जाना है, उससे संबंधित चेक बाक्स पर टिक किया जायेगा । व्यापारी द्वारा एक से अधिक सूचनाओं में परिवर्तन हेतु आवेदन एक बार में ही किया जा सकता है ।

(iv) Save Application पर Click करने पर व्यापारी को Application Reference Number प्राप्त हो जायेगा । यह Application Reference Number व्यापारी के मोबाईल एवं ई-मेल पर भी प्रेषित हो जायेगा । इस Application Reference Number के प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर अपेक्षित संशोधन का विवरण व्यापारी द्वारा आन लाइन अंकित किया जा सकेगा ।

(v) इसके पश्चात् व्यापारी द्वारा संबंधित Application Reference Number को Dropdown से चयनित किया जायेगा। जिस सूचना में परिवर्तन किये जाने के संबंध में पूर्व में चेक बाक्स पर टिक किया गया था , उनके Hyperlink पर Click करके संशोधित सूचनाएं अंकित की जायेगी तथा Confirm Application पर Click किया जायेगा।

(vi) Application के Confirmation के पश्चात् व्यापारी द्वारा Upload Document पर Click करके PAN अंकित कर Documents की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति की Scanned Copy Upload की जायेगी। व्यापारी द्वारा अपेक्षित संशोधन हेतु आवश्यक प्रपत्र संलग्न विवरण के अनुसार Upload किये जायेंगे । समस्त आवश्यक Documents को Upload करने के पश्चात् व्यापारी द्वारा Acknowledgement Receipt Print की जा सकेगी। इस Acknowledgement की सूचना व्यापारी को sms तथा e-mail के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी।

3- **<u>व्यापारी द्वारा आन-लाइन दाखिल किये गये पंजीयन में संशोधन के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही-</u>**

(i) व्यापारी द्वारा आन लाइन दाखिल संशोधन प्रार्थनापत्र को निस्तारित करने के लिए पंजीयन प्राधिकारी द्वारा Vyas Central Software में Login किया जायेगा। इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन मैनू में e-amendment के लिंक पर उपलब्ध Approval पर Click किया जायेगा।

(ii) पंजीयन प्राधिकारी द्वारा संबंधित Application Reference Number को Dropdown से चयनित करके Submit करने पर व्यापारी द्वारा अंकित विवरण प्रदर्शित हो जाता है। Screen पर उपलब्ध View all enclosures पर Click करके Submit किये गये Documents देखे जा सकते हैं।

(iii) पंजीयन प्राधिकारी द्वारा Amendment Application को Accept/Reject/Hold किया जा सकता है। Hold करने पर व्यापारी के login पर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा इंगित की गयी आपत्तियाँ उपलब्ध हो जायेंगी । व्यापारी द्वारा उक्त आपत्तियों के समाधान करने के पश्चात् Application पर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) यदि व्यापारी द्वारा दिये गये e-Amendment Application में व्यापारी को बुलाकर Enquiry किया जाना अपेक्षित है तो e-Amendment option में उपलब्ध Enquiry Link पर Click किया जायेगा। इसके पश्चात् Application Reference Number को चयनित करके Enquiry के कारणों को Remark फील्ड में अंकित करके Submit किया जायेगा।

(v) यदि व्यापारी द्वारा दिये गये e-Amendment Application में व्यापारी का Survey किया जाना अपेक्षित है तो e-Amendment option में उपलब्ध Survey Link पर Click करके Application Reference Number को चयनित कर Submit किया जायेगा। जिस संशोधन से संबंधित आवेदन पर जाँच सर्वेक्षण किया जाना है, उनकी सूचना संलग्न चार्ट में उपलब्ध है।

mu

(vi) पंजीयन प्राधिकारी द्वारा e-Amendment Application के निस्तारण के लिए Disposal Menu में उपलब्ध Amendment option पर click किया जायेगा। संबंधित Application Reference Number को dropdown से चयनित कर submit करने के पश्चात् dropdown से Grant amendment अथवा Reject amendment को चयनित किया जायेगा। Reject की स्थिति में Reason for rejection भी अंकित किया जाना आवश्यक है। Application grant करने की स्थिति में Grant Amendment चयनित करके Save Application बटन को Click किया जायेगा। Online आवेदन के निस्तारण के पश्चात व्यापारी को sms तथा e-mail के माध्यम से सूचना प्रेषित की जायेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था के संबंध में कोई समस्या / सुझाव हो तो उसे विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in के Home पेज पर feedback link के माध्यम से अवगत कराया जा सकेगा, जिसके आधार पर मुख्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही की जाएगी।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

ML 4.3.2015
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ०प०सं०एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ०प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ०प्र० शासन ,लखनऊ।
(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(4) सँयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवँ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ०प्र०।
(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०।
(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश।
(11) अपर निदेशक सँयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
(12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।
(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट ।।, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा।
(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
(19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियाँ में।
(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।
(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।

(25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।

(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।

(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुँज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।

(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।

(29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।

(30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।

(31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।

(32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।

(33) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।

(34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।

(35) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।

(36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।

(38) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।

(39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

(40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु युनिवर्सिटी,बनारस ।

(41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।

(42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

(43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।

(44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी ।

(45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।

(46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(49) श्री शैलेश मिश्रा, महामँत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(51) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(57) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पँजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।

(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0) ।
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार ऐसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
(79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स , नवयुग मार्केट , गाजियाबाद
(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार , सेक्टर 62, नोएडा ।

4.3.14

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ

Amendment Applications Regarding Registration of Dealers

S. No.	Amendment	Self Attested Document/ Documents to be uploaded alongwith the application for requisite amendment	Survey required /not required by Assessing Authority	Remark
1	2	3	4	5
1	Change in the name of Firm	• PAN Card	Survey Not Required	• New PAN Number of the firm is to be online filled and submitted in the requisite entries of Form-VII available at the top of the Form and Firm's Name is to be online uploaded in Entries at serial Number 4(E) of the Form. • Self Attested scanned copy of PAN Card is also to be uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded documents verified from the originals by communicating on line , the date for such verification , to the dealer concerned . • The aforesaid date for such verification should be fixed within 15 days of receipt of such application.
2	Change in ownership	• Resolution in case of Company taking over another company . • Article of Association or Memorandum after affecting the aforesaid change (Pages in which Certificate of incorporation is printed and page on which subscribers are described) • If business as a whole has been taken over by new Partnership Firm, then the Partnership Deed of the new firm . (first page and the	Survey Not Required	• Entries at serial Number 5 of Form-VII are to be online filled and submitted . • Annexure-A and Annexure-B of the Form-VII are to be uploaded with all the requisites . • Self Attested scanned copies of the Documents mentioned in Column -3 are also to be uploaded. • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority

		page on which signatures of all partners are mentioned)		will get the uploaded documents verified from the originals by communicating on line , the date for such verification , to the dealer concerned . • The aforesaid date for such verification should be fixed within 15 days of receipt of such application .
3	Change in place of business	• Any one of the documents which are prescribed for new registration as a proof of address .(First page and the page on which Signatures of Seller, Purchaser and witnesses are mentioned)	Survey Required	• Entries at serial number 6 of Form-VII are to be online filled and submitted . • If the change relates to column 11,12(A), 12(B) or 12(C) then such columns are also to be online filled and submitted . • The self-attested scanned copies of the documents mentioned in Coulmn-3 are to be uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded documents verified from the originals at the time of survey.
4	Opening of a new place of business	• Any one of the documents which are prescribed for new registration as a proof of address . .(First page and the page on which Signatures of Seller, Purchaser and witnesses are mentioned)	Survey Required	• Entries at serial number 6 of Form-VII are to be online filled and submitted. • If the change relates to column 11,12(A), 12(B) or 12(C) then such columns are also to be online filled and submitted . • The self-attested scanned copies of the documents mentioned in Coulmn-3 are to be uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded documents verified from the originals at the time of survey.

5	Addition or modification in the description of any goods or class of goods	• No document required	Survey Required In case of sensitive goods only	• Entries at serial number 17 of Form-VII are to be online filled and submitted . • If the Dealer is a manufacturer then Annexure C is also to be online filled and uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded information verified at the time of survey in respect of sensitive goods .
6	Change in the constitution of the firm without dissolution thereof	• PAN Card • Registered Partnership Deed. (first page and the page on which signatures of all partners are mentioned) • Resolution of Board of Directors in case of Company .	Survey Not Required	• PAN Card of the firm is to be online filled and submitted in the requisite entries of Form-VII available at the top of the Form . • Entries at serial number 13 of Form-VII are to be online filled and submitted . • Annexure-A and Annexure-B of the Form-VII are to be uploaded with all the requisites . • The self-attested scanned copies of the documents mentioned in Coulmn-3 are to be uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded documents verified from the originals by communicating on line , the date for such verification , to the dealer concerned . • The aforesaid date for such verification should be fixed within 15 days of receipt of such application.
7	In case of trust, there is a change in the trustees thereof	• By laws of the Trust • PAN Card	Survey Not Required	• PAN Card of the trust is to be online filled and submitted in the requisite entries of Form-VII

				available at the top of the Form . • Entries at serial number 13 of Form-VII are to be online filled and submitted . • Annexure-A and Annexure-B of the Form-VII are to be uploaded with all the requisites . • The self-attested scanned copies of the documents mentioned in Coulmn-3 are to be uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded documents verified from the originals by communicating on line , the date for such verification , to the dealer concerned . • The aforesaid date for such verification should be fixed within 15 days of receipt of such application.
8	In case of guardian of the ward , change in the guardian	• Power of Attorney • PAN Card of the Guardian .	Survey Not Required	• PAN Card of the New guardian is to be online filled and submitted in the requisite entries of Form-VII available at the top of the Form . • Entries at serial number 13 of Form-VII are to be online filled and submitted . • Annexure-A and Annexure-B of the Form-VII are to be uploaded with all the requisites . • The self-attested scanned copies of the documents mentioned in Coulmn-3 are to be uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded documents

				verified from the originals by communicating on line , the date for such verification , to the dealer concerned . • The aforesaid date for such verification should be fixed within 15 days of receipt of such application.
9	In case of trust, "Hindu Undivided Family", the business of such family is converted into a partnership business with all or any of the copartners as partners	• Registered Partnership Deed (first page and the page on which signatures of all partners are mentioned) • PAN Card	Survey **Not** Required	• PAN Card of the New Partnership Firm is to be online filled and submitted in the requisite entries of Form-VII available at the top of the Form . • Entries at serial number 13 of Form-VII are to be online filled and submitted . • Annexure-A and Annexure-B of the Form-VII are to be uploaded with all the requisites . • The self-attested scanned copies of the documents mentioned in Coulmn-3 are to be uploaded . • Mere uploading the aforesaid information/documents will be sufficient if Form-VII has already been submitted in respect of existing firm prior to such change. • The Assessing Authority will get the uploaded documents verified from the originals by communicating on line , the date for such verification , to the dealer concerned . • The aforesaid date for such verification should be fixed within 15 days of receipt of such application.

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ